का रवैया अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने यात्री सुविधाओं के संबंध में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तुत प्रतिवेदन में समिति ने क्या विशेष उल्लेख किया है और क्या सरकार ने समिति के प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों पर कोई कार्यवाही की है या करने पर विचार कर रही है?

रेल मंत्री (श्री सी॰के॰ जाफ़र शरीफ): (क) से (घ) यद्यपि मूत्रालय, प्लेटफार्म सायबान तथा खान-पान सुविधाएं मूलभूत यात्री सुविधाओं के अन्तर्गत नहीं आती थीं, तथापि नियमित और जरूरत के आधार पर विभिन्न स्टेशनों पर इनकी व्यवस्था की जा रही थी बहरहाल, यात्री सुविधाओं के पुनर्वर्गीकरण तथा रेलवे स्टेशन पर मुहैया की जाने वाली आवश्यक सुविधाओं की सूची में मूत्रालय, प्लेटफार्म सायबान तथा खान-पान की सुविधाएं शामिल करने के संबंध में स्थायी समिति की विशिष्ट सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में अब सुविधाओं के पुर्नवर्गीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

Compensation to Army Jawans killed in Suratgarh rail accident

2578. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railways have given compensation of Rupees 2.00 lacs each to the nearest kins of Army Jawans, who were involved in accident at Suratgarh (Rajasthan) Railway accident on a level crossing;

(b) whether such compensation has been given to victims of other railway accidents at unmanned level-crossings; if not, the reasons therefor; and

(c) the number of accidents and persons involved at unmanned railway crossings during the last three years and compensation paid to the victims?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) No, Sir. However, the compensation to the dependents of Army Jawans killed/ injured in level crossing accident at Suratgarh, Rajasthan will be paid as per the decree of the concerned Motor Accident Claims Tribunal.

(b) No, Sir. Section 124 of the Railways Act, 1989 provides for payment of compensation to bonafide passengers only who get injured or to the dependents of those who die on account of passenger train accidents. No liability accrues in the case collisions between trains and road vehicles at unmanned level crossings in which railway passengers are not involved and in cases of persons run over by trains. In terms of Section 161 of the Railways Act, 1989 negligent crossing unmanned level crossing is a punishable offence.

(c) The number of accidents and persons involved in accidents at unmanned railway crossings during the last three years is as under:—

No. of Accidents	No. of persons killed	No. of persons injured
127	311	613

No compensation has been paid to the victims.

Construction of new Platforms

2579. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what are the names of stations where new passenger platforms were constructed on or after 1st January, 1976, on each Zonal Railway, division-wise;

(b) what are the names of stations where new passenger platforms are under construction, on each Zonal Railway; and

(c) what are the names of stations where new passenger platforms are proposed to be constructed in near future by Indian Railways?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Slashing of wagon procurement orders

2580. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Board has decided to slash the wagon procurement order by 42 per cent in the financial year 1995-96; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

देश में कर्मचारी रहित रेलवे क्रासिंग

2581. श्री रामजी लाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में रेलवे क्रासिंगों पर फाटकों के निर्माण करने संबंधी कोई नीति है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रेल क्रासिंगों पर फाटक न होने के कारण अथवा कोई कर्मचारी न होने के कारण हताहत हुए लोगों की संख्या का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा कितने रेलवे क्रासिंगों का निर्माण किया गया है;

(घ) क्या हिसार में मुख्य रेलवे लेवल क्रासिंग और तोहना-जलियाना में रेलवे लेवल क्रासिंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ङ) इस समस्या पर काबू पाने के लिए आगामी बजट में कितनी धन राशि के आवंटन का प्रावधान किया गया है; और

(च) क्या इन रेलवे लेवल क्रासिंगों के निर्माण से देश में इन क्रासिंगों पर होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ): (क) जी हां, रेलवे नई रेल लाइन बिछाते समय भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 16 से 19 के अंतर्गत उल्लिखित सांविधिक दायित्व का पालन करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से पर्याप्त संख्या में समपारों (चौकीदार वाले अथवा बिना चौकीदार वाले) अथवा ऊपरी सड़क/निचले पुलों, जैसा भी मामला हो की व्यवस्था करती है जो यातायात की मात्रा पर निर्भर करता है। रेलों द्वारा राज्य सरकार की पहल पर रेल लाइन को यातायात के लिए खोलने के बाद 10 वर्ष की और आगे अवधि के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। उनमें आशोधन भी किया जाता है। इस अवधि तक किए गए कार्यों की समूची प्रारंभिक लागत तथा इनके निरंतर अनुरक्षण पर आने वाली लागत रेलों द्वारा वहन की जाती है।

नए समपारों के लिए तत्पश्चात् प्राप्त अनुरोधों पर रेलों द्वारा तब विचार किया जाता है जब प्रारंभिक तथा अनुवर्ती खर्च वहन करने की वचनबद्धता सहित आवश्यक प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित हो। बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं के संबंध में संसद के दोनों सदनों में सांसदों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को देखते हुए रेलों द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि भविष्य में किसी नए बिना चौकीदार वाले समपार की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा उनका ब्यौरा:—

राज्य	बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या		
1	2	3	4
	1992	1933	1994
आंध्र प्रदेश	6	1	52
असम	3	—	2
बिहार	8	3	1
गुजरात	6	11	14
हरियाणा	9	—	—
कर्नाटक	1	7	1
केरल	3	—	2
महाराष्ट्र	1	42	2
मध्य प्रदेश	19	5	4
उड़ीसा	1	—	—
पंजाब	—	—	5
राजस्थान	3	5	4